न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
05/2016/प्रा.पत्र/2016	08.01.2016	29.10.2021

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

बनाम

1–श्री राजेश कुमार बडाया पुत्र स्व0 श्री श्याम सुन्दर बडाया जाति महाजन निवासी पी.एल. मोटर्स के पीछे जयपुर रोड छावनी टोंक पार्टनर मैसर्स बडाया इण्डस्ट्रीज जी. 29,30 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया टोक

2– मैसर्स बडाया इण्डस्ट्रीज जी. 29,30 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया टोक

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–श्री विक्रम जैन,अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–:

दिनांक 29.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.05.2015 को समय 2.40 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स बडाया इण्डस्ट्रीज जी. 29,30 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया टोक पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री राजेश कुमार बडाया पुत्र स्व0 श्री श्याम सुन्दर बडाया जाति महाजन निवासी पी.एल. मोटर्स के पीछे जयपुर रोड छावनी टोंक पार्टनर मैसर्स बडाया इण्डस्ट्रीज जी. 29,30 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया टोक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का पार्टनर होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु टैंक मे **कच्ची घाणी सरसो तेल** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री राजेश कुमार बडाया को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए ... नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस ... विक्रेता ... बडाया एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:33:25 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक द्वारा विक्रय हेतु 13 1/2 –13 1/2 टन के 3 एवं 9 टन के 1 टैंक में लगभग 10–12 टन **कच्ची घाणी सरसो तेल** रखे हुये मे से 2 लीटर वेईग मशीन से तुलवाकर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री राजेश कुमार बडाया को रू0 160/–अक्षरे एक सौ साठ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **कच्ची घाणी सरसो तेल** 2 लीटर को चार बराबर भागो मे विभाजित कर अलग–अलग चार साफ सुखी कांच की शिशियो मे भरकर प्रत्येक शिशी को ढक्कन से अच्छी तरह एयर टाइट बंद किया एंव नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1033 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1033 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. राजेश कुमार बडाया के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एंव जन विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2015/2551 दिनांक 28.07.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक एंव जन विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/441/एक्ट/2015/458 दिनांक 10.07.2015 एवं निदेशक, रेफरल फूड लेब गाजियाबाद की अंतिम जांच रिपोर्ट दिनांक 20.10.2015 अनुसार राजेश कुमार बडाया से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **कच्ची घाणी सरसो तेल** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक** (Sub-Standard) **व कान्ट्रावेन** (Contravene) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का **कच्ची घाणी सरसो तेल** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा [illegible] पठित धारा 49)में निर्धारित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:33:25 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **कच्ची घाणी सरसो तेल** का विकय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **कच्ची घाणी सरसो तेल** नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री राजेश कुमार बडाया पुत्र स्व0 श्री श्याम सुन्दर बडाया जाति महाजन निवासी पी.एल. मोटर्स के पीछे जयपुर रोड छावनी टोंक पार्टनर मैसर्स बडाया इण्डस्ट्रीज जी. 29,30 रीको इण्डस्ट्रीज एरिया टोक पर शास्ति 25,000 (अक्षरे पच्चीस हजार रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 29.10.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

29-10-21

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:33:25 IST
Reason: SelfAttested